ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार, जिला कुल्लू का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 11/07 से 3/14

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार, जिला कुल्लू क अवधि 11/07 से 3/14 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, इस विभाग के श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 10.11.14 से 27.11.14 तक बंजार में किया गया। ई0–गवर्नेन्स सोसाईटी, कुल्लू जिला कुल्ल का गठन सभायें पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अन्तर्गत दिनाँक 11.9.2006 को पंजीकरण संख्या 489/2006 के अन्तर्गत हुआ तथा इसी पंजीकरण संख्या के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार ने अपना कार्य 28.11.07 से आरम्भ किया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 12/08, 3/10, 5/10, 5/11, 5/12 व 3/14 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 11/08, 11/09, 9/10, 12/11, 2/13 व 9/13 का चयन किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष तथा सचिव/प्रभारी के पद पर कार्यरत रहेः–

अध्यक्षः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अभिषेक जैन	11.6.07 से 19.3.08
2	श्रीमती सुधा देवी	19.3.08 से 31.5.09
3	श्री बी0एम0 नाटा	1.6.09 से 2.5.12
4	श्री प्रियातु मण्डल	2.5.12 से 6.6.12
5	श्री अमिताभ अवस्थी	7.6.12 से 9.10.12
6	डा0 अमनदीप गर्ग	10.10.12 से 3.1.13
7	श्री सर्वनेगी	7.1.13 से 3.7.13
8	श्री राकेश कंवर	3.7.13 से लगातार

सचिव/प्रभारी

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	Sh. P.R. Verma	9.5.06 से 31.3.08
2	Sh. Y.P. Sharma	1.4.08 से 16.5.11
3	Sh. Virender Sharma	26.7.11 से 19.6.14

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	5	राजकीय कोष में राशि का कम जमा करवाया जाना	0.60

2	8	ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा खरीदे गए प्रिन्टर की स्टॉक प्रविष्टि न करना	0.23
3	9	ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा व्यय की गई राशि के वाउचरों का अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना	1.00

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार द्वारा प्रदान की गई सूचना व अभिलेख के आधार पर अंकेक्षण किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार के अवधि 11/07 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर कुल ₹13000/– आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2014–62 दिनाँक 27.11.2014 द्वारा उप–मण्डल अधिकारी (न0) बन्जार से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार, जिला कूल्लू द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां/सवोयें भी प्रदान की जा रही है जैसा कि भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र व भूमि का पर्चा इत्यादि जारी करना तथा इन सभी सवाओं को प्रदान करने पर प्राप्त आय का वर्ष 2012–13 के माह 12/12 तक एक ही रोकड़ बही में ईन्द्राज किया गया है व इस सम्पूर्ण राशि को के0सी0सी0 बैंक के बचत खाता संख्या 20010006976 में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से पूरा व्यय भो वर्ष 2012–13 के माह 12/12 तक एक ही खाते से किया गया है। माह 12/2012 से ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत तहसील कार्यालय बंजार व सैंज की अलग रोकड़ बहियाँ लगाने से वर्ष 2013–14 से परिवहन विभाग की गतिविधियों से प्राप्त आय व व्यय की अलग से रोकड़ बही रखी गइ है। उक्त के दृष्टिगत ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन के गतिविधियों की वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक अलग से रोकड़ वही नहीं लगाई है। तदानुसार सोसाईटी द्वारा समस्त गतिविधियों की रोकड़ बही में दर्ज आय व व्ययों की 2007–08 से 2013–14 की समांकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई है, जोकि **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

(ख) वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही दिनाँक 31.12.12 को ₹900 के योग ज्यादा लिए गए थे, जिनका समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) ई–गर्वनेन्स सोसाईटी, बंजार, द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि में परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित प्राप्त सेवा शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से ह, जिसका माहवार विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

क्र0सं0	**अवधि**	**सेवा शुल्क**
1	11/07 से 3/08	19170
2	4/08 से 3/09	86710
3	4/09 से 3/10	99300
4	4/10 से 3/11	126576
5	4/11 से 3/12	103530
6	4/12 से 3/13	100250
7	4/13 से 3/14	133380
	कुल राशि	**₹668916**

(घ) बैंक समाधान विवरणीः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की दिनाँक 31.3.14 तक की बैंक समाधान विवरणिका में निम्नलिखित अनियमितताए ंपाई गईः–

(i) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, बंजार, जिला कूल्लू की रोकड़ बही व बैंक पास बुक के मिलान करने के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा समय–2 पर प्राप्त ब्याज की राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था जिस कारण सोसाईटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती। वर्ष 2007–08 से वर्ष 2013–14 के दौरान बचत खाते के ब्याज ₹15617/– को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त ब्याज की राशि की जाँच संस्था स्त्तर करके इसकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में की जाए तथा भविष्य में समय–समय पर अर्जित ब्याज की राशि रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार कुछ कालातीत चैक जोकि दिनाँक 31.3.14 तक जारी किए गए थे परन्तु बैंक में डेबिट नहीं हुए तथा इसी प्रकार कुछ कालातीत चैक जोकि बैंक में लिए गए थे परन्तु रोकड़ बही में नहीं लिए गए। अतः इन कालालतीत चैकों को नियमानुसार प्रविष्टियाँ करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व पास बुक/ बैंक विवरणिका का मिलान करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में दिनाँक 7.11.09 से 22.12.09 के दौरान कुल आय की ₹34845/– दर्ज की गई है परन्तु इस अवधि में बैंक में जमा की गई राशि की जाँच करने पर पाया गया कि बैंक में ₹672/– कम जमा करवाई गई है। अतः कम जमा की गई राशि को जमा करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

4 रोकड़ बही/लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 –एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार रोकड़ बही तथा लेखों का निर्माण सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित है परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से किया है और न ही लजर बनाए है। इसक अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा प्रतिवर्ष Balance Sheet भो तैयार नहीं की गई है। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार प्राप्त आय को रोकड़ बही में प्रतिदिन दर्ज न करके एक बड़े अन्तराल क बाद रोकड़ बही में इकटठी प्रविष्टियाँ दर्ज की गई है, जोकि नियमानुसार नहीं है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन प्राप्त आय व व्यय के अनुसार प्रविष्टियाँ दर्ज की जानी चाहिए।

क्र0सं0	प्राप्त आय की अवधि	प्राप्त आय	रोकड़ बही पृ0सं0
1	2/09 से 25.3.09	77319	8
2	2.4.09 से 19.5.09	35455	8
3	25.5.09 से 27.7.09	48860	9
4	3.8.09 से 6.10.09	62710	9
5	7.10.09 से 5.11.09	21850	10
6	7.11.09 से 22.12.09	34845	10
7	24.12.09 से 16.1.10	29390	11
8	3.5.10 से 3.6.10	49765	12
9	12.7.10 से 28.8.10	51375	13
10	30.8.10 से 31.12.10	99173	14
11	18.3.11 से 16.5.11	40881	15
12	24.5.11 से 14.7.11	63175	16
13	1.11.11 से 31.12.11	40905	17
14	2.1.12 से 28.5.12	107060	17
15	1.6.12 से 30.6.12	15735	19
16	1.9.12 से 30.9.12	7850	20
18	1.10.12 से 31.10.12	6500	20

इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में कोई मासिक वितरण भी नहीं दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही का निर्माण ई–गवर्नेन्स सोसाईटी जिला कुल्लू के निमयों "7" के अनुसार बनाना सुनिश्चित किया जाए जिसके अन्तर्गत रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई, माह के दौरान किए गए कुल्लू व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भो दिया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही के शेष से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा जब कभी भी रोकड़ में किसी ईन्द्राज का ठीक करना है तो पुरानी

प्रविष्टि को काटकर नई प्रविष्टि को पुनः लिखकर तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करवाकर इसका पुनः ईन्द्राज किया जाए। अतः अविलम्ब नियमों की अनुपालना करते हुए रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से करने के साथ–2 बैंक समाधान विवरणी भी समय–2 पर तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त सोसाईटी की प्रतिवर्ष Balance Sheet भी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

5 राजकीय कोष में ₹60678/– कम जमा करवाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000– ई–गवर्नेन्स दिनांक 03.09.2005 के पैरा संख्या 3(बी) क अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25**%** भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षणाधीन अवधि 11/07 से 3/14 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में कल ₹668916/– की वसूली की गई थी तथा निम्नविवरणानुसार उक्त आय के 25**%** भाग की ₹167231/– राजकीय कोष में जमा करवाया जानी अपेक्षित थी।

क्र0सं0	**अवधि**	**प्राप्त सेवा शुल्क**	**राजकीय कोष में जमा करने हेतु 25% भाग**
1	11/07 से 3/08	19170	4793
2	4/08 से 3/09	86710	21678
3	4/09 से 3/10	99300	24825
4	4/10 से 3/11	126576	31644
5	4/11 से 3/12	103530	25883
6	4/12 से 3/13	100250	25063
7	4/13 से 3/14	133380	33345
		कुल	**₹167231**

परन्तु ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, बंजार द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नविवरणानुसार केवल मात्र ₹106553/– राजकीय कोष में जमा करवाई गई।

क्र0सं0	**चालान संख्या व दिनांक**	**राशि**
1	5, दिनांक 7.12.12	59885
2	1 दिनांक 5.7.13	46668
	योग	**₹106553**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹167231–₹106553=₹60678 राजकीय कोष में कम जमा करवाई गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा कम जमा करवाई गई राशि को राजकीय कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही राजकीय कोष में राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वसूली गई सेवा शुल्क की राशियो ंको समय पर राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया जा रहा है

जबकि प्राप्त शुल्क को वसूली वाले दिन या अगले कार्य दिवस में राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्त सोसाईटी द्वारा इसकी पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है तथा जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में वसूल की गई राशि का नियमानुसार समय पर राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 भुगतान की गई राशि की रसीदें प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों में व्ययों की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार द्वारा, अध्यक्ष ई–गवर्नेन्स सोसाईटी जिला कुल्लू को विभिन्न राशियों का भुगतान किया गया है परन्तु उनकी रसीदें अभिलेख में नहीं पाई गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रोकड़ बही की पृ0सं0 व दिनांक	चैक नं0	भुगतान की गई राशि
1	10, 5.11.09	058613	100000
2	14, 8.9.10	227059	150000
3	17, 6.1.12	580235	100000
4	25, 1.2.13	888577	100000
5	35, 23.9.13	690346	100000

अतः भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का रजिस्टरों में अलग–2 खाते तैयार करके दर्ज नहीं किया गया अपितु एक ही पन्ने पर विभिन्न वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियाँ की गई है, जो कि अनुचित है। नियमानुसार प्रत्येक खरीदी गई वस्तु को अलग पृष्ठ में दर्ज किया जाना चाहिए था एवं तदानुसार ही तिथिवार खपत का विवरण भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए था। अतः परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर का निर्माण ई–गवर्नेन्स सोसाईटी जिला कुल्लू द्वारा निर्धारित फण्ड नियम "11" के अनुसार तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पूर्व रजिस्टर से सभी मदों का उनके खाता में स्थानांतरित करके बकाया शेष भी दर्शाया जाए तथा को गई कार्रवाई का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए।

8 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा खरीदी गए ₹23190/– के प्रिन्टर की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बंजार द्वारा H.P. State Electronics Development Corporation से उनके बिल नं0 31558, दिनांक 10.10.2013 के अन्तर्गत HP (JM 251-N प्रिन्टर का ₹23190/– में क्रय किया गया परन्तु इसकी स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई। अतः खरीदे

गए प्रिन्टर की स्टॉक प्रविष्टि स्थाई स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा व्यय की गई ₹100000/– वाउचरों का अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवानाः–

चयनित माहों के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही क पृष्ठ संख्या 5 दिनाँक 5.11.08 पर ₹5000/– का भुगतान चैक संख्या 576827 द्वारा व दिनाँक 18.11.08 को चैक संख्या 576831 द्वारा ₹50000 का भुगतान सुगम सेंटर के कार्य हेतु श्री चुनी लाल को किया गया दर्शाया गया है परन्तु व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं हो पाए। इन वाउचरों को उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2014-60 दिनांक 25.11.14 द्वारा भी अनुरोध किया गया, परन्तु सोसाईटी द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः उक्त व्ययों से सम्बन्धित बिल/वाउचरों को अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाए जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

10 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई कुल्लू से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) बंजार को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) बंजार से केन्द्रीय ईकाई कुल्लू को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई कुल्लू से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 लघु आपत्ति विवरणीः–यह अलग से जारी नहीं की गई।

12 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 26/2014 –2351–2355दिनांक 17.05.2015,शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव इ–गवर्नेन्स सेन्टर (आर0एल0ए0) बंजार, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश कुल्लू जिला कुल्लू (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009